

आदेश

14-618

पकावली आज कोर्ट गोदनी में पेश की
पकावली का अवलोकन किया गया तथा वाद
पक्ष में उपस्थित भूमि एवं कम्परा में सड़क बाव
कोर्ट में उपस्थित भौत बिरान एवं पत्थरी हवा
से पुख्ता करके पर पाया गया कि वाद पक्ष
में जिस विवादित सड़क बावत अनुतोष-पाथ
गया है वह सड़क गार्ड पर वन चुकी है तथा
सड़क पर भातायात-पालू है। उक्त विवेचन
से प्रस्तुत वाद पक्ष को कोई अर्थोचित्य नहीं
रह गया है। वाद पक्ष इसी स्तर पर खारिज
किया जाता है।

पकावली केसल अकार होकर नरवर लि
कक हो तथा दारखत दफ्तर है।

निर्णय आज दिनांक 14-6-18 को कोर्ट
कोर्ट गोदनी में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

उदयपुर जिला